संख्या- 3/2024-310/22-1-2024

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव.
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग - 1 लखनऊ: दिनांकः 18-06-2024

विषय- कारागार विभाग के अन्तर्गत जेल वार्डर के पद पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या - 5326/अध-3(3)/104/ भर्ती /2023, दिनांक 26-02-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कारागार विभाग में जेल वार्डर के 2833 रिक्त पदों की भर्ती हेतु 03 वर्ष के शिथिलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र शासन की उ0प्र0 लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 1992 सम्बन्धी अधिसूचना संख्या-11/3/1991- का-2-92, दिनांक 23-07-1992 के नियम-3 के आलोक में उ०प्र० कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर सेवा नियमावली, 2016 के आयु सम्बन्धी प्राविधान नियम-10 में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा को विशेष परिस्थिति (कोविड - 19 महामारी) में विगत 03 वर्षो में भर्ती न होने के कारण अपवादस्वरूप मात्र 01 बार के लिए समस्त आवेदनकर्ता / अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा (कट ऑफ डेट 01-07-2023 को) में 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4- उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय को भविष्य में किसी अन्य प्रकरण हेतु दृष्टान्त नहीं माना जायेगा ।

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in